बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 192062 पटना, दिनांक:- 14/07/2014

ग्रा0वि0-7(5)/इं0आ0यो0(लक्ष्य)-102-19/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,

नवादा ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2013-14 के लक्ष्य के विरूद्ध अवशेष बचे इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि का बैंक पासबुक हस्तगत कराने के लिए विशेष शिविर का आयोजन करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1121 दिनांक-29.05.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मामले पर मांगे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने के पश्चात लाभुकों को बिना विलंब के पासबुक हस्तगत कराया जाना अपेक्षित था । इसके अतिरिक्त यदि विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए संसूचित लक्ष्य के विरूद्ध कुछ लाभुकों को आवास की स्वीकृति नहीं दी गयी थी तो इस कार्य को भी निधि की उपलब्धता के अनुसार अविलम्ब किया जाना चाहिए था । इसी उद्देश्य से विभागीय पत्र संख्या-186987 दिनांक-02.06.14 एवं पत्रांक-188138 दिनांक-11.06.14 के द्वारा दिशा-निर्देश दिये गये थे ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में लाभुकों के बीच वितरण हेतु अवशेष बचे पासबुक का वितरण तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लक्ष्य के विरूद्ध अवशेष बचे लाभुकों के बीच प्रथम किस्त की सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ बैंक पासबुक का वितरण हेतु शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय स्तर से प्रखण्ड स्तरीय शिविर की तिथि निश्चित कर शिविर का आयोजन किया जाय तथा शिविर आयोजन की तिथि से विभाग को भी अवगत करायी जाय । शिविर के आयोजन के उपरांत उपलब्धि प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

इस शिविर में भी पूर्व की विशेष शिविर की तरह जन प्रतिनिधियों को भाग लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 एम0 राजू)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 192062 पटना, दिनांक:- 14/07/2014

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया)/जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 192062 पटना, दिनांक 14/07/2014

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/7/14

विशेष कार्य पदाधिकारी

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1073b.doc